न्यायमूर्ति आर. एस. मोंगिया और एस. एस. सुधालकर .

मंदीप सोधी,-याचिकाकर्ता

बनाम

पी. जी. आई., चंडीगढ़ और अन्य -उत्तरदाता

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 13789 of 1998

23 सितंबर, 1998

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - चार अलग-अलग पाठ्यक्रमों में प्रवेश - केवल एक आवेदन पत्र- एक संयुक्त परीक्षा - आवेदन में उम्मीदवार द्वारा किए गए विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए वरीयता - प्रवेश के लिए आधार।

अभिनिर्णित है कि चार पाठ्यक्रमों के लिए केवल एक आवेदन पत्र और एक प्रवेश परीक्षा थी, इसके बाद वरीयता सूची तैयार होने के बाद उम्मीदवारों द्वारा आवेदन में किए गए पाठ्यक्रमों की वरीयता (प्रदर्शन नहीं) के क्रम में प्रवेश दिया जाना था।उम्मीदवारों को उनकी वरीयता के आधार पर उनकी पहली पसंद के पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाना था और यदि सीट उपलब्ध नहीं थी तो उन्हें दूसरी पसंद के पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता था।यहां तक कि प्रतिवादी-पी. जी. आई. ने भी हमारे द्वारा बताए गए चयन के तरीके को समझा क्योंकि परिणाम को संकलित करते समय, उम्मीदवारों द्वारा अपने आवेदन पत्रों में दी गई पसंद को परिणाम में इंगित किया गया है।किसी उम्मीदवार को वरीयता क्रम को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

याचिकाकर्ता की ओर से सुश्री अनु चतरथ,वरिष्ठ अधिवक्ता सहित जी. के. चतरथ एडोवकेट ।

अरुण नेहरा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए अधिवक्ता।

महाबीर अहलावत, प्रतिवादी संख्या 4 के लिए अधिवक्ता।

पी. आर. डोगरा, प्रतिवादी संख्या 5 के पिता।

निर्णय

न्यायमूर्ति आर. एस. मोंगिया.

1. प्रतिवादी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एड्यू एंड रिसर्च, चंडीगढ़ (संक्षेप में पीजीआई) ने सत्र-सितंबर 1998 के लिए पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विवरण पत्रिका जारी की।जिन पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश दिए जाने थे, वे इस प्रकार हैं -

2. बी. एससी. चिकित्सा प्रौद्योगिकी (प्रयोगशाला)

3. बी. एससी. चिकित्सा प्रौद्योगिकी (एक्स-रे)

4. बी. एससी. (ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी)

5. बी. एससी. चिकित्सा प्रौद्योगिकी (रेडियो-चिकित्सा)

6. बी. एससी. शारीरिक चिकित्सा (बी. पी. एच. टी.)

7. ऑपरेशन थिएटर सहायक।

(2) प्रत्येक पाठ्यक्रम में सामान्य श्रेणी के साथ-साथ आरक्षित श्रेणियों के लिए निम्नलिखित सीटों की संख्याएँ थीं:-

क्र	पाठ्यक्रम का नाम	कुल सीटें	के लिए आरक्षित सीटें एससी/एसटी
1.	बी. एससी. चिकित्सकीय प्रौद्योगिकी (प्रयोगशाला)	**15**	4
2.	बी. एससी. चिकित्सकीय प्रौद्योगिकी (एक्स-रे)	10	**2**
3.	बी. एससी. (ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी)	**6**	**2**
4.	बी. एससी. चिकित्सा प्रौद्योगिकी (रेडियोथेरेपी)	**5**	
	उपरोक्त पाठ्यक्रमों की अवधि तीन शैक्षणिक		

	वर्ष है।		
5.	बी. एससी. शारीरिक उपचार (बी. पीएच. टी.)	10	**2**
6.	ऑपरेशन थिएटर सहायक पाठ्यक्रम।	10	2

पाठ्यक्रम की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष है ।

(3) विवरणिका में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है:—

" क्रमांक 1,2,3 और ५ के पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों को केवल एक आवेदन जमा करना आवश्यक है। निश्चित रूप से चयन का उल्लेख आवेदन पत्र पर उपयुक्त स्थान पर किया जाना चाहिए।अन्य दो पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग आवेदन की आवश्यकता होगी ।पाठ्यक्रम की पसंद का संकेत देने से पहले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस उद्देश्य के लिए योग्यता और अन्य नियमों और शर्तों के अनुसार आवेदन करने के योग्य हैं।"

(4) विवरण पत्रिका चयन की विधि भी बताती है जो निम्नलिखित शब्दों में हैं (प्रासंगिक भाग)

"चयन की विधि:—

(i) उम्मीदवारों का चयन इस उद्देश्य के लिए आयोजित होने वाले 100 अंकों के थ्योरी पेपर में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।थ्योरी पेपर की संरचना के बारे में विवरण नीचे आइटम 5 के तहत दिया गया है। प्रत्येक श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए योग्यता सूची तैयार की जाएगी। सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित, प्रतिनियुक्त/प्रायोजित और विदेशी उम्मीदवार, यदि कोई हो।फिर उम्मीदवारों का चयन प्रत्येक पाठ्यक्रम में संबंधित सूची से किया जाएगा, सख्ती से उम्मीदवारों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए वरीयता के क्रम में आवेदन किए गए पाठ्यक्रम के लिए चयन किया जाएगा, बशर्ते कि वे अन्यथा पात्र हों।

(ii) प्रायोजित उम्मीदवारों और विदेशी उम्मीदवारों सहित सामान्य उम्मीदवार जो थ्योरी परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करते हैं, वे चयन के लिए पात्र नहीं होंगे।अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में चयन के लिए पात्रता थ्योरी परीक्षा में 45 प्रतिशत अंकों की होगी।"

(5) इस मामले के प्रयोजन के लिए विवरण पत्रिका में अन्य प्रासंगिक खंड 12 (छ) है, जो निम्नलिखित हैः

"संस्थान को आवेदन जमा करने के बाद विषय/पाठ्यक्रम या जिस श्रेणी के लिए आवेदन किया गया है, उसमें बदलाव के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता है।"

(6) पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रमों अर्थात बी. एससी. चिकित्सा प्रौद्योगिकी (प्रयोगशाला); बी. एससी. चिकित्सा प्रौद्योगिकी (एक्स-रे); बी. एससी. (ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी) और बी. एससी. शारीरिक चिकित्सा (बी. पी. एच. टी.) (जिसके लिए केवल एक आवेदन पत्र जमा किया जाना था) में प्रवेश के लिए आवेदन जिसमे पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के चयन का संकेत है इस प्रकार है –

' सर,

मैं सितंबर, 1998 से शुरू होने वाले सत्र के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करता हुं।

1. _____

2. _____

3._____

4._____

मैं नीचे दी गई श्रेणी () के तहत एक आवेदक हुँः

(ए) सामान्य (बी) S.C./S.T. (सी) प्रायोजित/प्रतिनियुक्त (डी) विदेशी राष्ट्रीय (ई) व्यावसायिक

एन. बी. पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने की पात्रता की पुष्टि करने के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश सूचना का संदर्भ लेना चाहिए।

2. बी. एससी. चिकित्सा प्रौद्योगिकी (प्रयोगशाला), बी. एससी. चिकित्सा प्रौद्योगिकी (एक्स-रे), बी. एससी. (ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी), बी. एससी. शारीरिक चिकित्सा (बी. एच. डी.) टी.) पाठ्यक्रम उम्मीदवारों को केवल एक आवेदन जमा करना आवश्यक है।

3. ऑपरेशन थिएटर सहायक पाठ्यक्रम के लिए एक अलग आवेदन की आवश्यकता होती है।

4. बी. एससी. के लिए। चिकित्सा प्रौद्योगिकी (रेडियोथेरेपी) पाठ्यक्रम केवल प्रायोजित/प्रतिनियुक्त उम्मीदवार ही पात्र हैं। पाठ्यक्रम के लिए एक अलग आवेदन फिर से लिया जाता है।"

(7) याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 4 और 5 सभी अनुसूचित जाति श्रेणी के हैं।याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 4 और 5, ने अन्य लोगों के अलावा एस. सी. श्रेणी में प्रवेश के लिए आवेदन किया।याचिकाकर्ता ने वरीयता के निम्नलिखित क्रम में प्रवेश के लिए अपने चार विकल्प दिए थेः—

1. बी. एससी. शारीरिक उपचार (B.Ph.T.)
2. बी. एससी. (ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी)
3. बी. एससी. चिकित्सा प्रौद्योगिकी (एक्स-रे)
4. .बी. एससी. चिकित्सा प्रौद्योगिकी (प्रयोगशाला)

प्रत्यर्थी संख्या 4- अमन पाल सिंह और प्रत्यर्थी संख्या 5-वाविता रानी ने निम्नलिखित क्रम में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों में अपनी पसंद का संकेत दिया थाः—

प्रतिवादी संख्या 4-अमन पाल सिंहः—

1. बी. एससी. चिकित्सा प्रौद्योगिकी (प्रयोगशाला);
2. बी. एससी. चिकित्सा प्रौद्योगिकी (एक्स-रे);
3. बी. एससी. (ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी); और
4. बी. एससी. शारीरिक उपचार (B.Ph.T.)

प्रत्यर्थी संख्या 5-वाविता रानीः—

1. बी. एससी. चिकित्सा प्रौद्योगिकी (प्रयोगशाला);
2. बी. एससी. चिकित्सा प्रौद्योगिकी (एक्स-रे);
3. बी. एससी. (ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी); और
4. बी. एससी. शारीरिक उपचार (B.Ph.T.)।

(8) यहां यह देखा जा सकता है कि अनुसूचित जातियों की आरक्षित श्रेणी के लिए उत्तरदाता-पीजीआई द्वारा तैयार की गई वरीयता सूची में, उत्तरदाता संख्या 4 और 5 को योग्यता में उच्चतर रखा गया था।दोनों को बी. एससी. शारीरिक चिकित्सा (B.Ph.T), में प्रवेश दिया गया हालांकि यह पाठ्यक्रम उनकी चौथी पसंद थी और

याचिकाकर्ता को इस पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया गया था, हालांकि यह उनकी पहली पसंद थी और उसे बीएससी चिकित्सा प्रौद्योगिकी (एक्स-रे) में प्रवेश दिया गया था, जो उनकी तीसरी पसंद थी।

(9) याचिकाकर्ता ने बी. एससी. शारीरिक चिकित्सा (B.Ph.T.) में प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5 के प्रवेश को और उसे उस पाठ्यक्रम में प्रवेश ना दिये जाने को चुनौती इस आधार पर दी है की प्रवेश विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा दी गई पसंद या वरीयता के क्रम के अनुसार दिया जाना चाहिए था और यदि उम्मीदवार द्वारा दी गई पहली पसंद में कोई सीट उपलब्ध थी तो उसे उस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाना चाहिए था।प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जवाब दायर किया गया है।

(10) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि विवरण पत्रिका के अनुसार चयन की विधि यह है कि थ्योरी परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों (सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि) की वरीयता सूची तैयार करने के बाद, उम्मीदवार को प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए वरीयता के क्रम में योग्यता को ध्यान में रखते हुए चयन किया जाना चाहिए, बशर्ते कि वे अन्यथा पात्र हों।यह विवरण पत्रिका में चयन की विधि में प्रदान किया गया है जिसे पहले ही ऊपर पुनः प्रस्तुत किया जा चुका है।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि विवरण पत्रिका में चयन की विधि से संबंधित पैराग्राफ में जिस शब्द प्रदर्शन का उपयोग किया गया है, वह गलत है और वास्तव में इसे प्राथमिकता कहा जाना चाहिए क्योंकि प्रदर्शन शब्द का कोई अर्थ नहीं है।अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए , याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अनुलग्नक पी. 3 का उल्लेख किया, जो प्रतिवादी-पी. जी. आई. द्वारा परिणाम का एक संकलन है जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार के खिलाफ विभिन्न पाठ्यक्रमों की पसंद का क्रम उल्लेख किया गया है जिसमें उन्होंने आवेदन किया था।इसमें उत्तरदाता संख्या 4 और 5 को अपने विकल्प देते हुए चार पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करते हुए दिखाया गया है जैसा कि निर्णय के पहले भाग में संकेत दिया गया है।B.Ph.T. पाठ्यक्रम उत्तरदाता संख्या 4 और 5 की चौथी पसंद थी।याचिकाकर्ता के वकील ने प्रतिकृति के साथ संलग्न अनुलग्नक पी. 6 का भी उल्लेख किया जो सामान्य उम्मीदवारों की सूची है जिसमे परिणाम दिख रहे हैं और पहली पसंद B.Ph.T है। तर्क आगे है कि एक बार उम्मीदवारों ने एक विशेष क्रम या वरीयता में अपनी पसंद दी थी, जिसे विवरण पत्रिका के खंड 12 (जी) के अनुसार बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, जिसे ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है।चूंकि उत्तरदाता संख्या 4 और 5 ने अपनी चौथी पसंद के रूप में B.Ph.T का पाठ्यक्रम दिया था, इसलिए उन्हें उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जा सकता था क्योंकि 1 से 3 तक उनकी पसंद के रूप में दिखाए गए अन्य पाठ्यक्रमों में सीटें उपलब्ध थीं।याचिकाकर्ता ने B.Ph.T पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अपनी पहली पसंद दी है। उसे प्रतिवादी संख्या 4 और ५ से पहले उस पाठ्यक्रम में सीट की पेशकश की जानी चाहिए थी।

(11) दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान वकील-पीजीआई ने प्रस्तुत किया कि इस बात का कोई संकेत नहीं था कि उम्मीदवारों के पास था

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन में अपनी पसंद या वरीयता का क्रम देने के लिए और उन्हें केवल उन पाठ्यक्रमों का उल्लेख करना था जिनके लिए वे आवेदन कर रहे थे और योग्यता सूची तैयार होने के बाद उन्हें किसी भी पाठ्यक्रम को चुनने का मौका दिया जाना था जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया होगा।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि चयन की विधि के अनुसार, आवेदन किए गए पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाना था और विवरण पत्रिका में कोई गलत छाप नहीं थी जहां चयन की विधि दी गई थी।वास्तव में, प्रदर्शन शब्द का सही उपयोग किया गया है और इसका मतलब वरीयता नहीं है।

(12) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि याचिका सफल होने के लिए उत्तरदायी है।

(13) जैसा कि ऊपर देखा गया है, चार पाठ्यक्रमों के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र होना था।विवरण पत्रिका में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि विचाराधीन चार पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों को केवल एक आवेदन जमा करना होगा।निश्चित रूप से चयन का उल्लेख आवेदन पत्र पर उपयुक्त स्थान पर किया जाना चाहिए।" हमारे अनुसार, इसका मतलब यह था कि उम्मीदवार को एक आवेदन पत्र पर चार पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करते समय विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अपनी वरीयता का क्रम इंगित करना होगा।हमारा यह विचार है कि चयन की विधि (पहले से ही ऊपर पुनः प्रस्तुत) से संबंधित विवरण पत्रिका के पैराग्राफ में अंतिम पंक्ति में प्रदर्शन शब्द को वरीयता के रूप में पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि प्रदर्शन शब्द न तो फिट बैठता है और न ही यह कोई अर्थ बताता है।विवरण पुस्तिका में शब्द यह हैं कि "उम्मीदवारों का चयन संबंधित सूची से प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए किया जाएगा, जो आवेदन किए गए पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों के प्रदर्शन के क्रम को ध्यान में रखते हुए योग्यता के क्रम में सख्ती से किया जाएगा, बशर्ते वे अन्यथा पात्र हों।" 'अलग सूची' का संदर्भ पैराग्राफ के पहले भाग के लिए है, जहां सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों आदि के लिए अलग-अलग योग्यता सूचियां तैयार करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए कोई अलग परीक्षा नहीं होती है।एक संयुक्त परीक्षण होता है।यदि शब्दों को आवेदन किए गए पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों के प्रदर्शन के क्रम के रूप में पढ़ा जाना है, तो आवेदन किए गए प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रदर्शन के चार अलग-अलग सेट होने चाहिए।चूंकि चार पाठ्यक्रमों के लिए केवल एक आवेदन पत्र और एक प्रवेश परीक्षा थी, इसलिए योग्यता सूची तैयार होने के बाद आवेदन किए गए पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों की वरीयता (और प्रदर्शन नहीं) के क्रम में प्रवेश दिया जाना था।उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर उनकी पहली पसंद के पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाना था और यदि सीट उपलब्ध नहीं थी तो उन्हें दूसरी पसंद के पाठ्यक्रम में प्रवेश की पेशकश की जा सकती है।

यहां तक कि प्रत्यर्थी-पी. जी. आई. ने भी हमारे द्वारा बताए गए चयन के तरीके को समझा क्योंकि परिणाम को संकलित करते समय (जैसा कि अनुलग्नक पी. 3 और पी. 6 में बताया गया है) उम्मीदवारों द्वारा अपने आवेदन पत्रों में दिए गए विकल्प को परिणाम में इंगित किया गया था।यदि पहली पसंद के क्रम में कोई सीट उपलब्ध है तो विवरण पत्रिका के खंड 12 (जी) के अनुसार, उम्मीदवार को वरीयता क्रम को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।चूंकि वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5 ने अपनी चौथी पसंद के रूप में बी. एच. टी. पाठ्यक्रम के लिए विकल्प दिया था, इसलिए उन्हें पहले उस पाठ्यक्रम में प्रवेश की पेशकश की जानी चाहिए थी जिसके लिए उन्होंने क्रम संख्या 1 पर वरीयता दी है और यदि उस पाठ्यक्रम में सीटें उपलब्ध नहीं थीं, तो उन्हें उस क्रम में उनकी दूसरी, तीसरी या चौथी पसंद के दौरान सीट की पेशकश की जानी चाहिए थी।

(14) नतीजतन, इस मामले में, प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के बीच योग्यता में कम उम्मीदवार का प्रवेश रद्द किया जा सकता है और याचिकाकर्ता को 'B.Ph.T पाठ्यक्रम में सीट की पेशकश की जानी है क्योंकि यह उसकी पहली पसंद है। तदनुसार आदेश किया जाता है।

(15) हालाँकि, हम यहाँ यह भी कह सकते हैं कि प्रतिवादी-पी. जी. आई. के लिए याचिकाकर्ता को B.Ph.T पाठ्यक्रम में समायोजित करने के लिए यदि वह एक अतिरिक्त सीट बनाने का निर्णय लेता है तो वर्तमान व्यवस्था को बाधित किए बिना तो वह कर सकता है। अन्यथा, दो उत्तरदाताओं में से यानी प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5, जो उनमें योग्यता में कम हैं, उन्हें याचिकाकर्ता के लिए जगह बनानी होगी।

(16) तदनुसार रिट याचिका का निराकरण किया जाता है।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि यह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आपराधिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

हिमांशु आर्य

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा